न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 27 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/16)
पंजीयन दिनांक– 04.02.2021
निर्णय दिनांक– 18.10.2021

1. श्री रतनलाल पिता नाथू पूर्बिया, निवासी भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता हजारी तेली, निवासी भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
2. श्री पन्नालाल पिता हजारी तेली, निवासी भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल	–	अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संजय सेन	–	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक	–	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या
273 / 2017 निर्णय दिनांक 09.04.2018

निर्णय

दिनांक 18.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी,

भदेसर के प्रकरण संख्या 273/2017 निर्णय दिनांक 09.04.2018 के विरूद्ध दिनांक 02.11.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 एल. आर. एक्ट बाबत स्थगन आदेश के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449—50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण के पिता हजारी पिता मोडा तेली एवं चतरभुज पिता भेरा के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम भादसोडा, तहसील भदेसर में स्थित होकर मेवाड बंदोबस्त के समय खतोनी संख्या 144 में दर्ज आराजी नम्बर 1072 रकबा 3 बिस्वा आराजी नम्बर 1405 रकबा 3 बिस्वा किस्म आ. चा. दर्ज रेकार्ड थी, जो मेवाडा सेटलमेंट के बाद से लगातार चतरभुज एवं हजारी के नाम पर दर्ज चली आ रही थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण के पिता हजारी का आराजी नम्बर 1405 रकबा 3 बिस्वा में 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था शेष 1/2 हिस्सा चतरभुज का दर्ज था, चतरभुज की मृत्यु के पश्चात विरासत से चूना व चूना के पश्चात गंगाराम को जरिये विरासत प्राप्त हुई तथा गंगराम ने उक्त आराजीयात में से अपना 1/2 हिस्सा नाथू पिता देवजी पुर्बिया को पंजिकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया। नाथू की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात अपीलांट/विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में त्रुटि को दुरूस्त

करा पुनः अपना 1/2 हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 373/2017 निर्णय दिनांक 09.04.2018 से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.04.2018 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– **"प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 136 भू. रा. अधि. स्वीकार किया जाता है कि मौजा भादसोडा, पटवार हल्का भादसोडा की साबिक आराजी नम्बर 1405 रकबा 0.03 बिस्वा आ. चाह जिसके भू–प्रबंध से कायम नवीन आराजी नम्बर 1690 रकबा 0.03 हैक्टेयर आ. चा. में दर्ज खातेदार रतनलाल पिता नाथू पूर्बिया का 1/2 हिस्से के साथ प्रार्थीगण मांगीलाल, पन्नालाल पिता हजारी तेली का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में शुद्धि से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।"**

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 24.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने विचारण न्यायालय में ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता हजारी का राजस्व रेकार्ड में 1/2 हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड रहा हो, फिर

भी बिना दस्तावेजी साक्ष्य के रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का 1/2 हक व हिस्सा मानते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित कर दिया, जो अवैधानिक है। रेस्पोडेंट संख्य 1 व 2 का विवादित आराजीयात में कभी भी हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड नही रहा है, ऐसी स्थिति में बिना घोषणा कराये रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को अपना नाम दर्ज कराये जाने का अधिकार नहीं था। फिर भी विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर घोषणात्मक डिक्री पारित कर दी। जबकि धारा 136 के प्रार्थना पत्र में लिपिकीय त्रटि को ही सुधारा जा सकता है, फिर भी विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में घोषणा की डिक्री पारित कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 09.04.2018 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता हजारी पिता मोडा तेली एवं चतरभुज पिता भेरा के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम भादसोडा, तहसील भदेसर में स्थित होकर मेवाड बंदोबस्त के समय खतोनी संख्या 144 में दर्ज आराजी नम्बर 1072 रकबा 3 बिस्वा आरजी नम्बर 1405 रकबा 3 बिस्वा किस्त आ. चा. दर्ज रेकार्ड थी, जो मेवाडा सेटलमेंट के बाद से लगातार चतरभुज एवं हजारी के नाम पर दर्ज चली आ रही थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता हजारी का आराजी नम्बर 1405 रकबा 3 बिस्वा में 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था शेष 1/2 हिस्सा चतरभुज का दर्ज था, चतरभुज की मृत्यु के पश्चात विरासत से चूना व चूना के पश्चात गंगाराम को जरिये विरासत प्राप्त हुई तथा गंगराम ने उक्त

आराजीयात में से अपना 1/2 हिस्सा नाथू पित देवजी पुर्बिया को पंजिकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया। नाथू की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात अपीलांट के नाम दर्ज रेकार्ड है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में त्रुटि को दुरूस्त करा पुनः अपना 1/2 हिस्सा दर्ज कराया जाना न्यायोचित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2018 नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर द्वारा दिनांक 09.04.2018 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.04.2018 को पारित किया गया है जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 02.11.2020 को पेश की है। अपील पेश करने के लिए निर्धारित अवधि 60 दिवस के अनुसार यह अपील दिनांक 08.06.2018 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिये थी परन्तु अपील दिनांक 02.11.2020 को अर्थात् 2 वर्ष 4 माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। अपीलाण्ट द्वारा इसके लिए दफा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि उसे निर्णय की प्रथम जानकारी दिनांक 20.10.2020 को पटवारी हल्का से हुई। तत्पश्चात् उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर नकल दिनांक 20.10.2020 को प्राप्त हुई अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को स्वयं को प्रथम बार जानकारी पटवारी हल्का के मार्फत् होना अवगत करवाता है। ताइद में अपीलाण्ट द्वारा शपथ–पत्र भी दिया है। वहीं हम अधीनस्थ न्यायालय

की पत्रावली का अवलोकन करें तो यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट विपक्षी को दिनांक 17.01.2018 को पेशी दिनांक 01.02.2018 का नोटिस जारी किया था, जिस नोटिस पर व्यक्तिगत तामील अपीलाण्ट विपक्षी स्वयं को होना प्रमाणित है एवं इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2018 को अपीलाण्ट विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। अपीलाण्ट द्वारा यह कहना कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की उसे सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से हुई, यह तथ्यों से परे की बात है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की व्यक्तिगत तामील अपीलाण्ट को होना प्रमाणित है तथा अधीनस्थ न्यायालय में उसके व्यक्तिगत नोटिस तामील के बारे में उसने अपने दफा 5 जा.दी. के आवेदन में कुछ भी वर्णित नहीं किया है तथा बहस के दौरान पूछे जाने पर भी इस पर कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया है। स्पष्टतः प्रकरण में अपील 2 वर्ष 4 माह के विलम्ब से प्रस्तुत हुई एवं अपीलाण्ट द्वारा इतनी दीर्घ अवधि के मयाद कण्डोन करने के आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की जानकारी स्वयं को प्रथम बार पटवारी हल्का से दिनांक 20.10.2020 को होना बताता है जबकि उसे अधीनस्थ न्यायालय में पेश दिनांक 01.02.2018 की व्यक्तिगत जानकारी होना सुस्पष्ट है, अर्थात् अपीलाण्ट ने मयाद कण्डोन के आवेदन में जो कथन वर्णित किये हैं, वे तथ्यपरक नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचित करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के विधिक नोटिस की उपेक्षा करना एवं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होना फिर अपीलीय न्यायालय में उक्त तथ्यों को छिपाकर भ्रामक तथ्य लिखना एवं 2 वर्ष 4 माह से अधिक की अवधि का कोई स्पष्टीकरण नहीं देना जबकि व्यक्तिगत तामील पर हुए हस्ताक्षर प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के अपील मेमों पर किये गये हस्ताक्षरों से मिलान करते है। यह प्रकट करता है कि अपीलाण्ट के पास उक्त 2 वर्ष 4 माह की अवधि को कण्डोन किये जाने के

लिए कोई उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है एवं न्यायिक और विधिक प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा दिये गये विधिक नोटिस की उपेक्षा कर न्यायिक कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालय में भाग नहीं लेना एवं अपील में इतनी दीर्घ अवधि के लिए सत्य एवं तथ्यपरक तथ्यों के आधार पर भ्रामक तथ्य लिखने के कारण व मयाद कण्डोन किये जाने के लिए उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण स्पष्टतया अपील बैरून मयाद है एवं अपील के बैरून मयाद होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अपील बैरून मयाद होने के कारण अन्य आवेदनों एवं गुणावगुण पर विवेचन करने की कोई उपादेयता नहीं है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर